

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 29.03.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल,
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
2. श्री वी.सरवन कुमार,
शासन सचिव,
गृह विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
4. श्री दिलबाग सिंह,
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों से प्राप्त 192 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	बृजेश नारायण उर्फ बृजेश दास पुत्र रामपाल शुक्ला	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतापगढ़ (यू.पी.)	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2.	गुरदीप सिंह पुत्र कश्मीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
3.	रामेश्वर पुत्र अमरा	जिला कारागृह, टोंक	अजमेर	
4.	हडमान पुत्र देवाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर	-
5.	राजाराम पुत्र मोहनराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर	-
6.	लीलाधर पुत्र नोरंगराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	-
7.	आत्माराम पुत्र नोरंगराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	-
8.	श्रवण कुमार पुत्र लीलाधर	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	-
9.	जीतराम पुत्र पोकरराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
10.	दल्ला पुत्र हीरा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
11.	कैलाश उर्फ शेरू पुत्र पृथ्वीराज	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	-

10

9

M

12.	रमेश उर्फ रमण पुत्र नेमा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	डूंगरपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
13.	विमला बाई पत्नी महादेव	महिला बंदी सुधरगृह, कोटा	बून्दी	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
14.	गोपाल पुत्र नन्दा गुर्जर	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाडा	-
15.	सीताराम पुत्र मूलचन्द	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	दौसा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
16.	सरिका उर्फ पिंगी पत्नि कान्तिलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	चित्तौड़गढ़	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
17.	ओमसिंह पुत्र श्रीराम	वि.के.का. श्यालावास	दौसा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

५

५

Am

18.	महेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्रा पुत्र करतार सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	भठिण्डा (पंजाब)	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
19.	मिथलेश उर्फ कारी पुत्र सियाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	सहरसा (बिहार)	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
20.	शिवदयाल उर्फ शिवराम पुत्र सोनपाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	करौली	-
21.	विजेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	झुंझुनूं	-
22.	गोविंद पुत्र गोविन्दा पुत्र घीसुलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड	-
23.	राजपाल उर्फ कल्लूडी पुत्र निहालसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	भरतपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
24.	रामदेव पुत्र चुन्नीलाल बलाई	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाडा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

25.	साबिर खान पुत्र रशीद भाई	वि.के.का. श्यालावास	मुम्बई	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
26.	गजराज पुत्र रतिराम	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	अलवर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
27.	बाबू खाँ पुत्र निजामुद्दीन खाँ	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	चुरू	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	हनुमान प्रसाद पुत्र बुधराम उर्फ उदाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2) (जी), 376(2)(डी) आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
2.	आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवर लाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित

h

9.

(Signature)

3.	नाहर सिंह पुत्र भोमाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
4.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
5.	रामा पुत्र देवा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
6.	हकमा पुत्र देवा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
7.	जगमोहन सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2008 में दण्डित।
8.	रमेश कुमार पुत्र मेहनलाल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
9.	मांगीलाल पुत्र गंगाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	दिनांक 25.04.2014 से 09.08.2022 तक 8 वर्ष 3 माह 15 दिन पैरोल से फरारशुदा
10.	काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
11.	गोपाल लाल पुत्र मन्ना	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 15.09.2021 को जेलदण्ड से दण्डित।
12.	रणजीत पुत्र चौथमल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (i)आई.पी.सी. सपठित 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) से दण्डित।
13.	आसाराम उर्फ आसुमल पुत्र थेवरदास उर्फ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी, 376 (2) (एफ) आई.पी. सी. में आजीवन कारावास

	थाउमल		(शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
14.	सन्दीप पुत्र डूंगर सिंह	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
15.	प्रताप पुत्र सेणा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
16.	महावीर उर्फ बिट्टू पुत्र बाबूराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ) व 376 (2) (ड.) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास(शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित।
17.	बंटी उर्फ इरफान पुत्र कुर्बान अली	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
18.	विनोद पुत्र मुरलीधर	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
19.	इमरान उर्फ दिल्ली वाला पुत्र इस्लाम खान	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
20.	प्रभु सिंह पुत्र बहादुर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास
21.	साहिल पुत्र इस्लाम	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
22.	शांतिलाल पुत्र भंवर लाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर)।
23.	कपिल उर्फ अन्ना पुत्र गोविन्द राजा	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
24.	तारासिंह उर्फ तारईया पुत्र डोंगर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	14 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
25.	नरेन्द्रसिंह पुत्र शिवराज सिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. एवं 4, 6

			पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
26.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	दिनांक 30.01.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
27.	हीरालाल पुत्र भंवर लाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5/6 सपठित धारा 29 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
28.	रामस्वरूप पुत्र मनफूल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 (2), (एफ)(आई)(एन)आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
29.	शैतान पुत्र रामपाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
30.	मोतीराम पुत्र देवाराम	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ) आई.पी.सी. एवं 3/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
31.	अयुब पुत्र जमाल खां	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
32.	बैजा उर्फ बैजनाथ पुत्र मेहताब सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	11 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
33.	संदीप शर्मा पुत्र राजेश शर्मा	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
34.	प्रकाश पुत्र भवूती	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष

			प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
35.	किशन खटीक पुत्र लोगर खटीक	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 में जमानत पर)।
36.-	प्रहलाद पुत्र राजु मीणा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 04.05.2021 को जेलदण्ड से दण्डित।
37.	सलीम उर्फ छोटिया पुत्र युसुफ खां	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
38.	गोत्तम हरिजन पुत्र मोहनलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (i) व (एम) आई.पी.सी. सपठित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
39.	कालू उर्फ सलाम पुत्र हुसैन भाई	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
40.	राधेश्याम उर्फ राजु पुत्र उंकार लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
41.	नरेश उर्फ मोखम सिंह पुत्र रतन लाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
42.	नटवर लाल पुत्र गोतम	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(एन) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
43.	प्रदीपसिंह पुत्र केवलसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) व 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन

			कारावास से दण्डित।
44.	जगदीश सिंह उर्फ टिल्लु पुत्र रूप सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (i) व (एम) आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (आई) व (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
45.	ओमप्रकाश पुत्र पन्नाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 3क/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
46.	महेश कुमार पुत्र मंगल चन्द	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ) आई.पी.सी.में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकालतक) से दण्डित।
47.	मंगल पुत्र रामदेव	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(एन) आई.पी.सी. व 5 (एल)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
48.	गिरधारी पुत्र नेमाराम	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5 (ड)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
49.	हनुमान पुत्र बक्साराम जाट	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	मानसिक रोगी।
50.	कन्हैयालाल पुत्र रामकिशन	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	दिनांक 03.05.2022 से 05. 05.2022 तक बन्दी खुला शिविर,भरतपुर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।(जमानत पर)
51.	सुरेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 03.10.2011 से 28.11.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 25 दिवस पैरोल से फरारशुदा एवं 01

			अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
52.	शिवराज पुत्र माधोलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
53.	दिनेश पुत्र रतनलाल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) (एम)आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
54.	वाकिल उर्फ वकील पुत्र पदमो उर्फ पदमनाथ	जिला कारागृह, टोंक	प्रतिबंधित धारा 396, आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
55.	संजय राय पुत्र मांगेलाल	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 (1) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
56.	लायकराम पुत्र मंगलराम	केन्द्रीय कारागृह अलवर	दिनांक 09.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
57.	तेजाराम पुत्र हिमाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
58.	हासम पुत्र छोटू	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
59.	रामलाल पुत्र भैराराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	दिनांक 04.06.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
60.	जोगसिंह पुत्र खंगारसिंह उर्फ छगनसिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(आई), 376(डी) आई. पी.सी. एवं धारा 5(जी), 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
61.	ईश्वरसिंह पुत्र थानसिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(आई), 376(डी) आई. पी.सी. एवं धारा 5(जी), 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।

h

42

Mr

62.	राधेश्याम पुत्र सूबेसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर)।
63.	ओमप्रकाश पुत्र रामावतार	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
64.	राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र जगदीश	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
65.	बनवारी लाल पुत्र माधोसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	अन्य 17 प्रकरणों में विचाराधीन।
66.	राम पाण्डेय पुत्र हरिवंश पाण्डेय	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
67.	संजय आर्य पुत्र रामकिशन	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. सपठित धारा 3 (ए)/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
68.	चौथमल पुत्र रामदेव मेघवाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. एवं 5 (एम)/6पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
69.	घनश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारका प्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. सपठित धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
70.	नन्नूसिंह पुत्र बाबूसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये) से दण्डित।
71.	सुच्चासिंह पुत्र लखवीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई), 376 (2)(एफ), 376 (2) (के) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
72.	उदयलाल उर्फ	केन्द्रीय कारागृह,	01 अन्य प्रकरण में

	उदा पुत्र रामा	उदयपुर	विचाराधीन (जमानत पर)।
73.	मुकेश कुमार उर्फ बबलू पुत्र दीन दयाल	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये) से दण्डित।
74.	विष्णु पुत्र नेनु शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 09.04.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
75.	सुभाष खीचड़ पुत्र महेन्द्र सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
76.	विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश गोस्वामी	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (द) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
77.	संतोष कुमार पुत्र नन्दकिशोर	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	दिनांक 14.03.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
78.	भंवर लाल पुत्र भीम सेन	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
79.	मनोहरलाल पुत्र कंचनलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. विकल्प में धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिये) से दण्डित।
80.	मुकेश पुत्र रामसिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 08.09.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।
81.	विजय सिंह उर्फ मोनू पुत्र गोपाल सिंह उर्फ किशन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बन्दी खुला शिविर, कोटा से फरारशुदा (दिनांक 22. 04.2022 से 30.05.2022)
82.	भागसिंह उर्फ भागीरथ पुत्र निहाल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 (2)(च)आई.पी.सी. 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित एवं 01 अन्य

			प्रकरण में विचाराधीन।
83.	रामलाल पुत्र चुन्नी लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	धारा 376 (2) (आई) (एन) आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (एल)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
84.	पिन्टू काठात पुत्र श्री भंवरू काठात	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (घ) आई.पी.सी. व 5 (जी) (जे) (11) (एल)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
85.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
86.	मोजिन्दर वर्मा पुत्र महादेव वर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई), 376(2)(एल) आई.पी. सी. व 5 (के)/6, 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन की अवधि तक) से दण्डित।
87.	धन्ना उर्फ धनराज पुत्र हरजी	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 392 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
88.	नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित।
89.	भंवरलाल पुत्र पूर्णराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	धारा 5(एल)व(एन)/6पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
90.	जल सिंह पुत्र रामखिलाडी	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
91.	कयूम उर्फ संजय पुत्र सिराज मलिक	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395, 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।

92.	कालू उर्फ रवि पुत्र रमेश	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. व 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
93.	दीपक पुत्र भंवरलाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास व 460 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
94.	कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
95.	प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
96.	भीमराज पुत्र राजूराम	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. एवं 5 (जी) (एल)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
97.	कालूराम पुत्र लच्छा भील	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
98.	रामकरण जांगिड़ पुत्र श्यामलाल जांगिड़	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (डी)/ 120बी आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (जी)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) के दण्ड से दण्डित।
99.	शिपिन बर्मन पुत्र रामचरण	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) में आजीवन कारावास से दण्डित।
100.	लालचंद पुत्र कालूराम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
101.	सूरजभान पुत्र	केन्द्रीय कारागृह,	प्रतिबंधित धारा 376 (डी)/

	नवलकिशोर	कोटा	120बी आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (जी)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
102.	अरशद खान पुत्र मोहम्मद युनुस	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
103.	जगदीशचन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
104.	राजाराम पुत्र काना	जिला कारागृह, टोंक	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
105.	ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
106.	रामौवतार पुत्र रामेश्वर प्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
107.	मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ चंदरु	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. विकल्प में 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
108.	मुकेश पुत्र केसरीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(एन) आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (1)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कारावास से दण्डित।
109.	पप्पु उर्फ पुरखाराम पुत्र सुरता जी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (क), 376 (2) (एफ), 376 (2) (आई) आई.पी.सी. एवं 5 (एन)/6,5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।

110.	प्रमोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
111.	गंगाराम पुत्र गुल्या	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
112.	मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
113.	नरपत सिंह पुत्र छोटेला	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 377 आई. पी.सी. व 3 (ए)/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
114.	कुलदीप सिंह पुत्र देवीसिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
115.	सलीम शेख उर्फ सलीम विश्वास पुत्र अजदर अली विश्वास	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
116.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास, पैरोल से दिनांक 11.01.2021 से 04.02. 2021 तक कुल 25 दिवस फरारशुदा।
117.	पवन कुमार पुत्र मनफूलाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(जे)(एम) आई. पी. सी. व 5 (आई) (जे)(एम) /6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) से दण्डित।

118.	जलील उर्फ जमील पुत्र चांद मीयां	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी.में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
119.	रवि उर्फ पप्पु पुत्र भागीरथ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एल) आई.पी.सी. व 5 (के)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
120.	प्रकाश पुत्र खातु	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
121.	मोहम्मद मारूक पुत्र मोहम्मद फारूख	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
122.	वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तसलीम	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
123.	संजय सिंह उर्फ शैतान सिंह पुत्र मोती सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)
124.	कैलाश पुत्र रामदेव	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
125.	भैरू पुत्र हरिराम	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 13.08.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।
126.	सतपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	धारा 5 (एन)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।

127.	विक्रम पुत्र चैन सिंह	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	प्रतिबंधित धारा 395/120बी, 396/120बी, 460/120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
128.	चौथमल पुत्र बालुलाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व 3(ए)/4 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
129.	बसारत उर्फ बसारत पुत्र एवज खाँ	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(डी) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
130.	सोहनलाल पुत्र रंगलाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	धारा 6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास।
131.	रमेश कुमार पुत्र श्री पेमाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	दिनांक 07.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
132.	सचिन पांचाल पुत्र देवेन्द्र	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
133.	कल्लू उर्फ योगेन्द्र पुत्र मूलचन्द	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
134.	सुरेश माली पुत्र फूलचंद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. सपठित धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
135.	कफील अहमद उर्फ जावेद खाँ उर्फ जाकिर पुत्र वकील अहमद	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
136.	सुरेन्द्र सिंह उर्फ भुरा पुत्र बलाजीत सिंह	वि.के.का. श्यालावास	बन्दी खुला शिविर, अलवर में अनुशासनहीनता करने के कारण दिनांक 17.06.2022 को पुनः जेल दाखिल।

137.	थावर लाल पुत्र नगजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
138.	प्रदीप जाट पुत्र प्रीतम सिंह	जिला कारागृह, टोंक	दिनांक 06.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
139.	रज्जो पुत्र रामकिशन	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(एन) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
140.	सुनील पुत्र बनवारीलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
141.	प्रेम पुत्र सोहनलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
142.	जगदीश पुत्र देवीलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
143.	विनोद मीणा पुत्र भरतलाल	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
144.	दुल्हा पुत्र किशनाराम	जिला कारागृह, टोंक	प्रतिबंधित धारा 395/120बी, 396/120बी, 460/120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
145.	राजू पुत्र रंजीत	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
146.	महेन्द्र सिंह पुत्र भूर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	धारा 4 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
147.	रणजीत उर्फ	केन्द्रीय कारागृह,	प्रतिबंधित धारा 376 (2)

	रेणिया पुत्र बद्रीलाल मीणा	कोटा	(आई) व (एम) आई.पी. सी. में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन) से दण्डित।
148.	पप्पु उर्फ नन्दलाल पुत्र शंकरलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
149.	महेन्द्र सिंह पुत्र देवीलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
150.	नेमीचन्द पुत्र रामजीलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2-एन) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
151.	डालूराम पुत्र ताराराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर)।
152.	अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
153.	बरकत अली पुत्र लियाकत अली	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
154.	मोहम्मद साकिब अन्सारी पुत्र मोहम्मद असलम अन्सारी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 में दण्डित।
155.	शहजाद उर्फ साजिद पुत्र सलीम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376(2-झ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन तक) से दण्डित।
156.	फारूख पठान पुत्र ईस्माइल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

157.	अनुप पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर	पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
158.	रामचरण पुत्र बद्रीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई)(एन) आई.पी.सी. व सपठित धारा 5 (एल)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) से दण्डित।
159.	चैनाराम पुत्र भंवर लाल गुर्जर	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।(जमानत पर)
160.	भवानी सिंह पुत्र घेवर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ) (ढ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) से दण्डित।
161.	महेश कुमार शर्मा पुत्र गोपाल लाल	वि.के.का. श्यालावास	धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।

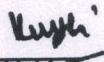
3. अग्रेषित प्रकरण :-

निम्नांकित प्रकरणों में बंदियों के नाम के सामने अंकित टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जावें।

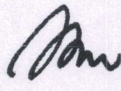
क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	अग्रेषित किये जाने का कारण
1.	बनवारी पुत्र गणेश	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल से फरारी के दौरान (दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020) बंदी कहां-कहां रहा तथा बंदी की गतिविधियों एवं दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला, अलवर की रिपोर्ट।
2.	बाबूलाल पुत्र भंवरनाथ उर्फ	वि.के.का. श्यालावास	पैरोल से फरारी के दौरान (दिनांक 10.07.2002 से

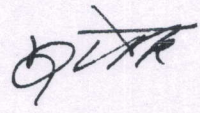
	भंवरलाल		29.04.2017) की अवधि में बंदी कहां-कहां रहा तथा बंदी की गतिविधियों एवं दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा की रिपोर्ट।
3.	किशन चौधरी पुत्र हीराराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारी के दौरान (दिनांक 28.08.2014 से 28.11.2019) की अवधि में बंदी कहां-कहां रहा तथा बंदी की गतिविधियों एवं दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पुलिस आयुक्त, जोधपुर की रिपोर्ट।
4.	गनी मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह कोटा	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।


 सदस्य
 उप निदेशक
 सामाजिक
 न्याय एवं
 अधिकारिता
 विभाग,
 राजस्थान,
 जयपुर।


 सदस्य
 महानिरीक्षक
 कारागार
 राजस्थान,
 जयपुर।


 सदस्य
 शासन सचिव,
 गृह विभाग,
 राजस्थान,
 जयपुर।


 सदस्य
 अति.
 महानिदेशक
 कारागार
 राजस्थान
 जयपुर।


 अध्यक्ष
 महानिदेशक
 एवं
 महानिरीक्षक
 कारागार
 राजस्थान
 जयपुर।